न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 30/2010/223 आरटीए

टहलसिंह पुत्र कालासिंह जाति रायसिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. मनजीत सिंह पुत्र टहलसिंह जाति रायसिख नाबालिग जरिय प्राकृतिक संरक्षक माता मु0 प्रकाश कौर पत्नि टहलसिंह जाति रायसिख निवासी चुहड़ीवाला चिस्सी तहसील फाजिल्का जिला फिरोजपुर पंजाब।
2. कालासिंह पुत्र सुन्दरसिंह (फौत)।

2/1 जैलोबाई पुत्री कालासिंह पत्नि गुरदीपसिंह जाति रायसिख निवासी 17 चक श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

2/2 बलविन्द्र कौर पुत्री कालासिंह पत्नि शेरसिंह जाति रायसिख निवासी करणीसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

2/3 पाशोबाई पुत्री कालासिंह पत्नि बलवीर सिंह जाति रायसिख निवासी मांशीवाला तहसील श्रीकरणपुर।

2/4 मालोबाई पुत्री कालासिंह पत्नि मीतासिंह जाति रायसिख निवासी 1 एक्स तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

2/5 कौशल्या बाई पुत्री कालासिंह पत्नि किशनसिंह जाति रायसिख निवासी 17 चक तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

3. जरनैलसिंह पुत्र कालासिंह जाति रायसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. करनैलसिंह पुत्र कालासिंह जाति रायसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. महलसिंह पुत्र कालासिंह जाति रायसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. जगदीश सिंह पुत्र कालासिंह जाति रायसिख निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. हरबंस कौर पत्नि गुरदीप सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी पन्नीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

8. गुरदीप सिंह पुत्र मक्खनसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी पन्नीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
9. हाकमसिंह पुत्र लादूसिंह जाति रायसिख निवासी पन्नीवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
10. जगो पत्नि हाकमसिंह जाति रायसिख निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
11. जयचन्द पुत्र लालचंद जाति कम्बोज चौधरी निवासी पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
12. तहसीलदार राजस्व टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. तहसीलदार राजस्व करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.04.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर टिब्बी

प्र0सं0 14/2002 अनवानी मनजीत सिंह बनाम टहलसिंह

श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री योगेश झोरड़ अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2/1 ता 2/5, 3 ता 6

श्री खुशकरण सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12

निर्णय दिनांक —01.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए पेश किया कर अपने पिता अपीलांट के नाम दर्ज आराजी भूमि के संबंध मे घोषणा व खाता तकसीम का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री गलत विधिविरूद्ध व बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन कर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने प्रश्नगत भूमि की स्वयं की आय से खरीद किये जाने के दस्तावेज रजि0 बैयनामे प्रस्तुत किये थे, जिसे दरकिनार कर जद्दी जायदाद मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। रेस्पो0 सं. 1 जो कि अपीलांट

का पुत्र है, बिना किसी उचित कारण के अपीलांट से अलग रह रहा है, अपीलांट की भूमि मे किसी भी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त नही करने का अधिकारी होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके पक्ष मे डिक्री जारी कर कानूनी भूल की है। विवादित भूमि अपीलांट की स्वअर्जित भूमि है जिसमे वादी/रेस्पो0 का कोई हक व हिस्सा नही है तथा वादी/रेस्पो0 सं. 1 की माता ने शपथ पत्र व पंचायत मे तहरीर करवाया हुआ है कि अपीलांट की सम्पति मे किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर अहम भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 12 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात बैयनामो एवं अधिवक्ता अपीलांट के कथनानुसार रेस्पो0 सं. 1 ने चक 30 एनजीसी, 1 एक्स व चक 13 एसके तीनो चको को शामिल करते हुए अपीलाधीन निर्णय से जरिये प्राप्त की है। जबकि वादग्रस्त भूमि चक 30 एनजीसी की भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 03.08.79 व चक 1 एक्स की भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 11.09.95 के द्वारा अपीलांट की खरीदशुदा भूमि है जिसमे रेस्पो0 सं. 1 का कोई हक व हिस्सा नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं. 1 द्वारा चक 30 एनजीसी, 1 एक्स व चक 13 एसके की भूमि जो अपीलांट टहलसिंह के नाम से दर्ज है, के संबंध मे घोषणा का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे डिक्री पारित कर दी। जबकि रेस्पो0 सं. 1/वादी का जद्दी जायदाद मे तो हक हिस्सा निहित हो सकता है, खरीदशुदा भूमि जो स्वयं अर्जित भूमि है, मे नही हो सकता है तथा स्वअर्जित भूमि मे भी अपने पिता के

जीवनकाल मे किसी प्रकार का घोषणा नही करवा सकता है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है कि अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण मे वर्णित आराजी भूमि मे से पैतृक सम्पति एवं खरीदशुदा भूमि दोनो बिन्दूओ की जांच कर रेस्पो0 सं. 1/वादी के हक/स्वत्व निर्धारण किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे वर्णित आराजी भूमि के संबंध मे पैतृक सम्पति एवं खरीदशुदा भूमि के बिन्दू को ध्यान मे रखते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर पुनः निर्णय प्रसारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2017 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़